

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 15 जनवरी 2014—पौष 25, शक 1935

सामाजिक न्याय विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2014

क्र. एफ 2-13-2011-छब्बीस-1.—निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा-32 के अधीन निःशक्त व्यक्तियों के लिए पदों के चिन्हांकन हेतु प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 24 जुलाई 2013 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा जारी अधिसूचना की अनुसूची-एक में उल्लेखित एक विभाग की स्थापना की अनुसूची—दो में दी गई विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है :—

अनुसूची—एक

(1) आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. जादौन, उपसचिव.

अनुसूची—दो

विभाग का नाम—आवास एवं पर्यावरण विभाग

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भरती के स्वीकृत पद	योग	पदों की संख्या कुल योग (6 प्रतिशत)	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या			योग (6+7+8)	यदि किसी संवर्ग में किसी श्रेणी से छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप
					अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
द्वितीय श्रेणी.	सहायक संचालक (योजना).	13	18	01	01	-	-	01	दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित हेतु छूट प्राप्त.
	सहायक संचालक (सर्वे/प्रो.).	03			-	-	-	-	-
	सहायक संचालक (रिसर्च).	02			-	-	-	-	-
	योग . .	18	18	01	01	-	-	01	

हस्ता./-
श्रीमती एस. खण्डाते
अवर सचिव.

हस्ता./-
व्ही. के. बाथम
सचिव.